

दिनांक 04 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

चिकन लेग्स का आयात

*229. श्री ए.के.पी. चिनराज:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से चिकन लेग्स के आयात के कारण घरेलू पॉल्ट्री क्षेत्र विशेषकर तमिलनाडु के नमक्कल जिले में इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में चिकन लेग्स का आयात किया गया;
- (ग) क्या पशुधन उत्पादों, विशेषकर चिकन लेग्स के आयात हेतु सरकार के पास कोई व्यवस्था विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) घरेलू पॉल्ट्री बाजार को बचाने हेतु सस्ते आयात को बंद करने के लिये सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है; और
- (ङ) क्या सरकार ने अत्यधिक ठंडे चिकन के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष रहे और भारतीय पॉल्ट्री क्षेत्र को बचाने हेतु सरकार ने अन्य क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“चिकन लेग्स का आयात” के संबंध में 04 दिसंबर,2019 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 229 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

(क) और (ख): संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में चिकन लेग्स के आयात के कारण तमिलनाडु में नमक्कल जिले सहित घरेलू पोल्ट्री क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव की कोई रिपोर्ट मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है। आइटम चिकन लेग्स का कोई अलग से आईटीसी (एचएस) कोड नहीं है और यह आईटीसी (एचएस): 02071400 (गल्स प्रजाति के फॉल्स के कट्स एवं ऑफल्स) के तहत शामिल है। पिछले तीन वर्षों 2016-17 से 2018-19 और चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 (सितंबर, 2019 तक) के दौरान आईटीसी (एचएस): 02071400 (गाल्स प्रजाति के फॉल्स के कट्स एवं ऑफल्स) के अंतर्गत आने वाले मर्दों का भारत द्वारा देश-वार आयात निम्नलिखित है:-

पिछले तीन वर्षों (2016-17 से 2018-19) और चालू वित्त वर्ष 2019-20 (सितंबर, 2019 तक) के लिए आइटीसीएचएस कोड 02071400 (गाल्स प्रजाति के फॉल्स के कट्स एवं ऑफल्स) मद का भारत का देश-वार आयात ।

आईटीसी एचएस	मद विवरण	देश	2016-17		2017-18		2018-19		* 2019-20 (सितंबर, 2019 तक)	
			मात्रा (कि ग्रा)	मूल्य (अम.डॉ)	मात्रा (किग्रा)	मूल्य (अम.डॉ)	मात्रा (किग्रा)	मूल्य (अम.डॉ)	मात्रा (किग्रा)	मूल्य (अम.डॉ)
02071400	गाल्स प्रजाति के फॉल्स के घरेलू फ्रोजन कट्स एवं ऑफल्स	ब्राज़ील	-	-	-	-	-	-	27000	21312
		यूएसए	-	-	-	-	122,132	80,464	-	-
		अन्य देश	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल					122,132	80,464	27000	21312	

* नोट: चालू वित्त वर्ष 2019-20 से संबंधित आंकड़े अनंतिम और परिवर्तनों के अध्यधीन हैं ।
(स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस)

(ग) और (घ): जी हां । पशुपालन एवं डेयरी विभाग की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 2666 (अ) दिनांक 16.10.2014 के अनुसार, चिकन लेग्स सहित पशुधन उत्पादों के आयात के लिए, एक सेनेटरी आयात परमिट की आवश्यकता होती है, जिसे पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी किया जाता है । इस स्वच्छता आयात परमिट में भारतीय स्वच्छता प्रोटोकॉल शामिल हैं, जिसे भारत में पशुधन उत्पादों का निर्यात करने से पहले निर्यातक देश के शासकीय प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इन

वस्तुओं के आयात को आयात शुल्क लागू करके प्रतिबंधित किया गया है । इन वस्तुओं पर वर्तमान आयात शुल्क @ 100% है जो भारत की बाध्य दरों के तहत उपलब्ध अधिकतम दर है।

(इ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) खाद्य उत्पादों के लिए मानकों को निर्धारित करने हेतु एक अधिकृत एजेंसी है । एफएसएसआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य एडिटिव्स) विनियम, 2011 के विनियमन 2.5.2.11 के तहत ताजा या प्रशीतित या फ्रोजन पोल्ट्री मांस के लिए मानक निर्धारित किए हैं, जिसमें फ्रोजन मांस के भंडारण की और इसके शेल्फ जीवन की शर्तों को विस्तार से दिया गया है । इन विनियमों के परिशिष्ट ख में फ्रोजन मांस के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानी मानकों को भी निर्धारित किया गया है । इन मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पादों को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित माना जाता है। तथापि, एफएसएसआई के पास अत्यधिक फ्रोजन चिकन की खपत का जनता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
